प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर अभियुक्त को हुई 02 वर्ष कारावास व पाँच हजार रूपए अर्थदंड की सजा

दिनांकः 23.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में दिनांक 23.09.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर दो वर्ष कारावास एवं पाँच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना तालगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 199/09 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट बनाम मुन्ना पुत्र मोती निवासी ईशापुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर में थाना तालगांव/लहरपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 23.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05 सीतापुर द्वारा अभियुक्त मुन्ना उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में 02 वर्ष कारावास व पाँच हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....